न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 73 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. [illegible] उर्फ [illegible]राम पुत्र स्व0 श्री [illegible]रामजी जाति विश्नोई निवासी [illegible] की ढाणी गांव गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. हरीराम पुत्र श्री कोजाराम जी जाति विश्नोई कॉवा निवासी मंगल नगर गावं गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति —

4. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सत्यानारायण राजपुरोहित ।
5. अप्रार्थी संख्या एक की और कोई अधिवक्ता उपस्थिति नही ।
6. अप्रार्थी संख्या दो की और से राजकीय अभिभाषक ।

आदेश

दिनांक :— 12/4/22

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम मगल नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान के खसरा नम्बर 456/3 रकबा 13.05 बीधा किस्म मे प्रार्थी रेकर्डेट खातेदार काश्तकार है प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 456/3 अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 853/456 बदिशा पश्चिमी की तरफ आया हुआ है खसरा नम्बर 853/456 के बदिशा पश्चिमी की तरफ पीछे आने वाला कटाण रास्ता से जोडता है प्रार्थी के कृषि जोत हेतु वर्तमान मे कोई रास्ता खेत मे जाने के लिए नही हैं प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 456/3 की जोत हेतु फसल निराई एव देखरेख हेतु इस खेत खसरा नम्बर 853/456 मे से कदमी ये निर्विवाद रूप से आ रहे है। उक्त रास्ता का उपयोग प्रार्थी एव उनके पूर्वक एव परिवानजन द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त अप्रार्थी सख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 853/456 मे से बदिशा पश्चिमी दिशा कणा माठ के सहारे ए,बी,सी,डी के बीच रास्ता खेत खसरा नम्बर 456/3 मे जाने हेतु बना हुआ है जो रास्ता अप्रार्थी सख्या 01 ने इस वर्ष 2018—2019 मे बद कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी एव उसके परिवानजन को अपने खेत खसरा नम्बर 456/3 मे खेत जोत एव फसल की निराई गुढाई हेतु अत्यन्त ही परेशानीयो का सामना करना पडा रहा है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु निकटतम लधुतम एव सुलभ रास्ता अप्रार्थी सख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 853/456 के सहारे की रास्ता आज दिन तक चलता रहा है जो प्रार्थी द्वारा पेश नजरीया नक्शा मे है तथा प्रार्थी इसी कणा मांठ के सहारे कदमी से आता जाता है तथा उपयोग कदीमी से कर रहा है अप्रार्थी सख्या 01 के खेत मे से रास्ता राजस्व रेकार्ड के नक्शा म तरमीम करवाकर प्राप्त करना चाहता है क्योकि प्रार्थी का एकमात्र रास्ता है जो लधुतम एव निकटतम है जिसको अप्रार्थी 01 द्वारा बंद कर देने से अब प्रार्थी के पास अपने खेत जोत हेतु जाने के लिए निकटतम लधुतम एव सुलभ यहि रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी उसके परिवारजन को खेत मे काम करने एव

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

खेत जोत हेतु जाने एव खेत की देखभाल करने फसल लेने इत्यादि के लिए अत्यन्त ही परेशानीयो का सामना करना पडा रहा है प्रार्थी उसका परिवारजन द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 को अपनी इस ज्वलनशील समस्या को बताया गया लेकिन अप्रार्थी सख्या 01 एव उसका परिवार अपनी हठधर्मिता पर उतर आये है ।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुए । तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार की रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 17.10.2019 अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 853/456 में से बीस फुट चौडाई अनुसार रास्ते का रकबा 4400 वर्गफीट बनता हैं जो कि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 853/456 में से मौका फर्द दिनांक 17.10.2019 अनुसार बीस फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाता हैं । मौका फर्द दिनांक 17.10.2019 अनुसार रास्ते का रकबा 4400 वर्गफुट बनता हैं उसकी कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थीगण को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थीगण तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डीडी प्रार्थीगण के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें । उक्त राशि तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । मौका फर्द दिनांक 17.10.2019 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी